



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127664

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19381 वर्ष 2026

दीपू @ आशु

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : माधवेंद्र मिश्रा, शुभम कुमार

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन कानपुर नगर जिले के शिवराजपुर थाना में बी.एन.एस. की धारा 137(2) और 87 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध सं. 55 वर्ष 2026 में आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद किए जाने के समय उसने बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया था। उसने अपनी आयु लगभग 17 वर्ष बताई है। पीड़िता आवेदक को सहमति देने वाली पक्ष प्रतीत होती है। बी.एन.एस.एस की धारा 183 के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने आगे कहा कि वह 10.03.2026 को अपना घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह आवेदक से प्यार करती थी, हालांकि आवेदक और पीड़िता के बीच कभी भी कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ। पीड़िता आवेदक के साथ चेन्नई गई थी और उसने कोई शोरगुल नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता का आवेदक द्वारा अपहरण नहीं किया गया था। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और बी.एन.एस.एस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक द्वारा बलात्कार का कोई अपराध नहीं किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 18.03.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक के अपराध में संलिप्त होने के पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का परिशीलन किया है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक - दीपू @ आशु को व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस.एस के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दं.प्र.सं./ 351 बी.एन.एस.एस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17 जून, 2026

ए.पी. पांडे

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।